जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डाः–

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक दिनांक **26.12.2022** को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ	
2.	जिला विकास अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
3.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ	–सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मेरठ	–सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मेरठ	–सदस्य
8.	निदेशक, नीर फाउण्डेशन, मेरठ	–सदस्य
9.	जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
10.	समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, मेरठ	–सदस्य
11.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मेरठ	–सदस्य
12.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ	–सदस्य –सदस्य (सचिव)

पिछली बैठक की पुष्टिः–

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

डी0पी0आर0 विरचन कार्य :–

प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर–1–2021 दिनांक 28.09.2021 एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर–1–2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार **20 नग** योजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 /2021/1883/ छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु0 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु0 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। **वर्तमान में प्राप्त 07 नग विस्तृत प्राक्कलन व 05 नग पुनर्गठन प्राक्कलन रु0 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलन की जाँच मै0 मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0 लि0 (डी0पी0एम0यू0) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गयें है, जिसकी छायाप्रति पताका–5 पर संलग्न हैं। उक्त 07 नग विस्तृत प्राक्कलन व 05 नग पुनर्गठन प्राक्कलन विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।** तदोपरान्त अग्रिम

कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 07 नग डी0पी0आर0 व 05 नग पुनर्गठन योजनाओं की डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

05 करोड़ से कम लागत:–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	दौराला	निहोरी	1	312	108.07	11.44	119.52	5442	फेज़–3
2	जानी	जमालपुर माजरा	1	385	134.58	14.25	148.85	5453	फेज़–2 (जमालपुर माजरा की डी0पी0आर0 DWSM से पूर्व में स्वीकृत है, जो SWSM से Rejected थी। जमालपुर माजरा की डी0पी0आर0 पुनः संशोधन उपरान्त बनायी गयी है।)
3	परीक्षितगढ़	अमरसिंहपुर व दयालपुर	2	762	373.79	39.59	413.39	5510	फेज़–3 (अमरसिंहपुर की डी0पी0आर0 DWSM से पूर्व में स्वीकृत है, जो SWSM से Rejected थी। अमरसिंहपुर व दयालपुर को क्लब करके पुनः संशोधन उपरान्त बनायी गयी है।)
4	परीक्षितगढ़	आलमगीरपुर बढ़ला	1	1105	386.01	40.89	426.90	6746	फेज़–3
5	परीक्षितगढ़	धनपुरा	1	412	144.13	15.26	159.41	6802	फेज़–3
6	रजपुरा	जलालुदीनपुर मसूदपुर गावड़ी	1	165	98.17	10.40	108.58	6171	फेज़–2 (ग्राम की आबादी कम होने के कारण प्रति FHTC लागत 35000 से अधिक है।)
7	सरधना	कमरूद्दीननगर मढियाई	1	769	267.86	28.37	296.24	4521	फेज़–3

05 नग पुनर्गठन पेयजल योजना

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	जानी	बहरामपुर खास	1	851	296.30	31.38	327.69	4271	फेज़–2 (पुनर्गठन)
2	मेरठ	दौलतपुर फखराबाद उर्फ कायस्थ	1	892	283.21	30.00	313.21	3780	फेज़–2 (पुनर्गठन)
3	परीक्षितगढ़	खजूरी अल्यारपुर	1	1285	410.10	43.44	453.55	3739	फेज़–2 (पुनर्गठन)
4	रोहटा	आलमगीरपुर, कल्याणपुर व उखलीना	3	1100	344.36	36.47	380.84	4361	फेज़–2 (पुनर्गठन)
5	सरूरपुर	गोटका व धनावली	2	807	338.64	35.87	374.52	4901	फेज़–2 (पुनर्गठन)

शासनादेश संख्या 16/ 2021/ 948/ छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग आई0आई0टी0/एन0आई0ई0टी0/राजकीय

विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त के क्रम में 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग फर्म द्वारा सरकारी संस्थान से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलनों की जाँच मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0 लि0 (डी0पी0एम0यू0) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गयें है। निम्न 5 नग विस्तृत प्राक्कलनों व 03 नग पुनर्गठन योजना के प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 08 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

05 करोड़ से अधिक लागत:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मि-लित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभि-कल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	हस्तिनापुर	मोड़ खुर्द व सदरपुर	2	1118	479.33	50.77	530.12	4951	फेज़-3
2	हस्तिनापुर	शिरजेपुर, हादीपुर गावड़ी, किशनपुर, लतिफपुर, कंकरखेड़ा	5	965	497.21	52.67	549.89	7595	फेज़-3
3	मवाना	खाता व सकौती	2	1037	538.66	57.06	595.72	5951	फेज़-3
4	मवाना	बिसौला व अक्खेपुर	2	952	511.00	54.13	565.14	5750	फेज़-3
5	सरूरपुर	पिठलोकर	1	2106	731.45	77.48	808.94	4499	फेज़-2
6	सरूरपुर	छुर्र व रिठाली	2	1411	514.44	54.49	568.94	5049	फेज़-2 (पुनर्गठन)
7	सरूरपुर	भूनी व कक्केपुर	2	1106	536.60	56.84	593.45	6648	फेज़-2 (पुनर्गठन)
8	सरूरपुर	कालन्दी	1	1153	556.37	58.93	615.32	5814	फेज़-2 (पुनर्गठन)

जल जीवन मिशन फेज़-2 एवं फेज़-3 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	मेरठ	फेज़-2	3	3
2	मेरठ	फेज़-2 (पुनर्गठन)	8	13
3	मेरठ	फेज़-3	9	17
		कुल	20	33

भूमि उपलब्धता :-

खण्ड स्तर से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूरत्नम कस्ट्रक्शनस (जे0वी0), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा हैं। योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि आबंटन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	तहसील	प्रस्तावित कुल नये ग्राम	प्रस्तावित पुनर्गठन ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष उपलब्ध भूमि	फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	SLSSC से स्वीकृत ग्रामों की संख्या	SLSSC से स्वीकृत डी.पी.आर. के सापेक्ष विवादित स्थल	प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष अनुपलब्ध भूमि
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10 (5–6)
1	मेरठ	138	11	149	134	120	90	4	15
2	सरधना	88	16	·104	103	96	57	4	01
3	मवाना	226	6	232	200	187	127	1	32
	कुल	**452**	**33**	**485**	**437**	**403**	**274**	**9**	**48**

अप्राप्त भूमि वाले ग्रामों हेतु खण्ड स्तर से निकटतम ग्रामों की सूची सम्बन्धित तहसील एवं नामित फर्म को उपलब्ध करायी गयी है। उपरोक्त निकटतम ग्रामों में भूमि आवंटन/चिन्हांकन की कार्यवाही के उपरान्त जिन ग्रामों में भूमि अनुपलब्ध है, उन ग्रामों को बहुल ग्राम पेयजल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत **"हर घर जल"** से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

कार्य की प्रगतिः–

फर्म द्वारा वर्तमान में 163 नग ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित		स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार आवश्यक पाइप (कि0मी0)	फर्म उपलब्ध करायी गई पाइप (कि0मी0)	बिछायी गई वितरण प्रणाली (कि0मी0)	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार FHTC का लक्ष्य	FHTC की प्रगति	टिप्पणी
ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407	485	1284.72	767.27	663.98	111	129	105700	52967	129 नग योजनाओं में (163 ग्रामों में) कार्य प्रारम्भ।

फर्म स्तर से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी0पी0आई0 द्वारा किया जा रहा है। **जनपद मेरठ में टी0पी0आई0 के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट** कार्यरत हैं। साथ ही जनपद मेरठ में District Project Monitoring Unit (डी0पी0एम0यू0) के रूप में **मै0 मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट लि0** कार्यरत है।

नमित सपोर्ट एजेन्सियों की गतिविधियाँ :–

- **जनपद मेरठ हेतु नामित आई0एस0ए0 :–**

1. मै0 सेफ एप्रोच, नई दिल्ली।
2. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा योजनाओं के कार्यों के सम्पादन हेतु तथा ग्रामवासियों को FHTC लेने में प्रोत्साहित करने व Community Contribution हेतु प्रत्येक जनपद में Implementation Support Agency को नामित किया गया है। अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 2453/W-

314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के अनुक्रम में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मेरठ में मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली व मै0 सेफ एप्रोच, नई दिल्ली को आई0एस0ए0 के रूप में चयनित किया गया। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के पत्रांक 2725/W-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार ISA द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व से निर्माण के पश्चात् संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ होने तक, जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणवत्ता नियन्त्रण एवं संचालन / अनुरक्षण हेतु प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के पत्रांक 389 / पेय–97 / जे0जे0एम0 / 118 दिनांक 29.06.2021 द्वारा 2 कलस्टर इस कार्य हेतु निम्नानुसार आबंटित किये गये थे।

क्र0 सं0	नामित आई0एस0ए0 का नाम	आबंटित कलस्टर संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	मै0 सेफ एप्रोच, ई–99 भगवती गार्डन एक्सटेशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली	1	40
2	मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1 / 16, मीठापुर एक्सटेशन, साईनगर, बदरपुर, नई दिल्ली	1	40

जनपद के लिए चयनित इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली को आवंटित 40 ग्राम पंचायतों में से 39 ग्राम पंचायतों की प्रथम चरण में की जाने वाली गतिविधियों को पूर्ण किया गया है तथा उक्त दोनों एजेन्सियों द्वारा अनुबन्ध के फेज़ II व III का कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

जनपद मेरठ में आई0एस0ए0 के रूप में चयनित स्वयं सेवी संस्था राम मनोहर एजुकेशनल एवं समुदाय बाल विकास सोसाईटी ने अपने पत्रांक RME/MEERUT/JJMUP/21-22/522 दिनांक 02.03.2022 द्वारा नियोजन एवं संघटन चरण के अन्तर्गत प्रथम बीजक के सापेक्ष की गई गतिविधियों (ग्राम सभा बैठक, मासिक महिला बैठक, सामूहिक बैठक, प्रभात फेरी, वृहद बैठक, VWSC/VAP गठन, PRA Activity, Water Security Plan, Baseline Survey Verification, सहमति पत्र, Capex/Opex खाता खोलना, IPC, Skilled Man Power, Signing of Tripartite Agreement) से सम्बन्धित अभिलेख, फोटोग्राफ एवं वीडियों की प्रति कार्यालय में प्रेषित की गई, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 05.04.2022 को चयनित आई0एस0ए0 द्वारा की गई गतिविधियों की उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त सत्यापन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में कार्यालय के पत्रांक 382 / पेय0–73 / 01 दिनांक 11.04.2022 जो कि उपजिलाधिकारी को सम्बोधित एवं खण्ड विकास अधिकारी को पृष्ठांकित हैं, के द्वारा संयुक्त सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। **मुख्य विकास अधिकारी, महोदय के निर्देशों के अनुपालन में खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ के पत्रांक 116 / ज0जी0मि0 / 2022–23 दिनांक 23.04.2022, खण्ड विकास अधिकारी, जानी खुर्द के पत्रांक 137 / जांच / ज0जी0मि0 / 2022–23 दिनांक 21.04.2022, खण्ड विकास अधिकारी, रजपुरा के पत्रांक 101 / जांच / ज0जी0मि0 / 2022–23 दिनांक 20.04.2022, खण्ड विकास अधिकारी, खरखौदा के पत्रांक 1622 / जांच / ज0जी0मि0 / 2022–23 दिनांक 18.04.2022 द्वारा सत्यापन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसके उपरान्त पुनः उपजिलाधिकारी, मेरठ द्वारा की गई 17 गतिविधियों की चैकलिस्ट सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से** हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत करने हेतु टिप्पणी की गई।

उक्त के क्रम में चयनित आई0एस0ए0 द्वारा सम्बन्धित विकास खण्डों के प्रत्येक ग्राम में 17 गतिविधियों की चैकलिस्ट खण्ड विकास अधिकारी–मेरठ, जानी, खरखौदा, रजपुरा से हस्ताक्षर कराकर कार्यालय में प्रस्तुत की गई। हस्ताक्षरयुक्त चैकलिस्ट को इस कार्यालय के पत्रांक 673 / पेय0–71 / 375 दिनांक 28.05.2022 द्वारा **उपजिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरान्त उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा सत्यापन आख्या पर हस्ताक्षर किये गये।**

जाँच आख्या में स्वयं सेवी संस्था राम मनोहर एजुकेशनल एवं समुदाय बाल विकास सोसाईटी द्वारा प्रथम चरण में की गई निर्धारित गतिविधियों को सत्यापित किया गया है, जिसका उल्लेख जाँच आख्या में किया गया है। उक्त के सापेक्ष उपयुक्त धनराशि की कटौती करते हुए RFP के अनुसार Schedule of Payment के आधार पर की गई गतिविधियों के भुगतान हेतु संस्तुति खण्ड स्तर से की गई है। मुख्य विकास अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में SOP के आधार पर प्रत्येक बिन्दु की परीक्षणोपरान्त आख्या संलग्न है। **उपसचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 3396 / छिहत्तर–1–2022–03सम / 2022 दिनांक 03.10.2022 में निर्देशित किया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा आई0एस0ए0 की RFP के अनुसार फेजवाईज़ गतिविधियों का अभिलेख एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ, वीडियों प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापन कराकर तथा जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ही आई0एस0ए0 के बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।** उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 1276 / पेय0–73 / 18 दिनांक 29.09.2022 के अनुक्रम में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अपने पत्रांक 2806/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 13.10.2022 द्वारा आई0एस0ए0 के रूप में कार्यरत संस्थाओं 1. मै0 आर0एम0ई0 बाल विकास सोसाईटी, नई

दिल्ली, 2. मै0 सैफ एप्रोच, नई दिल्ली का आवंटन निरस्त किया गया है। अनुवन्ध में Scope of Work की terms & Condition के अनुसार सम्बन्धित आई0एस0ए0 का अनुबन्ध निरस्त होने पर कराए गये कार्यों का भुगतान देय है। आई0एस0ए0 मै0 आर0एम0ई0 बाल विकास सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा किये गये कार्यों का मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट लि0 (डी0पी0एम0यू0), सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व उपजिलाधिकारी, मेरठ के द्वारा सत्यापन किये जाने के फलस्वरूप अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3617/W-314(District Allotment)/2022-23 दिनांक 29.11.2022 तथा 3639/W-314(District Allotment)/2022-23 दिनांक 30.11.2022 द्वारा नये आई0एस0ए0 के रूप में मै0 जन कल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, लोधीपुर तहसील गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़ तथा मै0 ग्रामीण उत्कर्ष शोध संस्थान, प्रयागराज को नियुक्त किया गया है।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

अधिशासी अभियन्ता जल निगम
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मेरठ

A.E.

Ass. Geophysicist
GWD, Meerut

AE-I

DIO

BDA.